क्रमांक 22/29/2023—1एच0आर0—III
हरियाणा सरकार
मानव संसाधन विभाग
(मानव संसाधन—III)

दिनांक, चण्डीगढ़ 17 फरवरी, 2023

सेवा में

सभी प्रशासकीय विभाग,
हरियाणा सरकार।

विषयः हरियाणा विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 80 (श्रीमति गीता भुक्कल, झज्जर द्वारा पूछा गया है) के संदर्भ में विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों से बैकलॉग का डाटा दिनांक 20.02.2022 तक भेजने बारे।

—000—

महोदय/महोदया,

मुझे उपरोक्त विषय के संदर्भ में यह कहने का निर्देश हुआ है, कि मै आपका ध्यान महानिदेशक, समाजिक न्याय, अधिकारिक्ता, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अन्तोदय (SEWA) विभाग के पत्र दिनांक 16.02.2023 एवं 14.02.2023(संलग्न) जोकि की हरियाणा विधान सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 80 के उत्तर के संदर्भ मे आवश्यक सूचना प्राप्त करने हेतू जारी किया गया है, कि ओर आर्कषित करूं एवं आपको सूचित करूं कि आप अपने अधीनस्थ विभागो/बोर्ड/कार्पोरेशन/सार्वजानिक क्षेत्र के उपक्रम को यह तुरन्त निर्देश जारी करें कि महानिदेशक, समाजिक न्याय, अधिकारिक्ता, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अन्तोदय (SEWA) विभाग के द्वारा जारी किऐ गये पत्र क्रमांक 3565 दिनांक 16.2.2023 एवं क्रमांक 3133—282 दिनांक 14.2.2023 के सम्बंध में आवश्यक सूचना तत्काल प्रभाव से ई—मेल empcellwscbc@gmail.com के माध्यम से दिनांक 20.2.2023 तक (SEWA) विभाग को प्रदान करना सुनिश्चित करें एवं यह सुनिश्चित करें कि आपके अधीनस्थ विभागों/बोर्ड/कार्पोरेशन/सार्वजानिक क्षेत्र के उपक्रम के द्वारा उपरोक्त के संदर्भ में माँगी गई आवश्यक सूचना (SEWA) विभाग को ई—मेल कर दी गई है।

2. कृप्या इसे परम अग्रता प्रदान करें।

अधीक्षक/मानव संसाधन—III
कृते मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

पृष्ठांकन क्रमांक 22/29/2023—1एच0आर0—III दिनांक 17.02.2023

एक प्रति महानिदेशक, समाजिक न्याय, अधिकारिक्ता, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अन्तोदय (SEWA) विभाग को उनके पत्र क्रमांक 3565 दिनांक 16.02.2023 के संदर्भ में तुरन्त प्रभाव से आगामी कार्यवाही हेतू प्रेषित की जाती है।

अधीक्षक मानव संसाधन—III
कृते मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

MOST URGENT
Haryana Vidhan Sabha Assembly
Business No. 14/15/471 dated 10.02.2023

प्रेषक

महानिदेशक
सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग
कल्याण एवं अन्तयोदय (सेवा) विभाग हरियाणा, बेज नं0 53–54,
सैक्टर–2, पंचकुला

सेवा में,

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
अधीक्षक, मानव संसाधन–III,
हरियाणा सिविल सचिवालय, चण्डीगढ़

क्रमांकः – 3565 दिनांकः 16-02-2023

विषयः– विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों से बैकलॉग का डाटा दिनांक 31.03.2022 तक का भेजने बारे।

उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा के द्वारा जारी किये गए संदर्भित पत्रों क्रमांक 12702–902 दिनांक 01.07.2022, पत्र क्रमांक 1102–262 तथा पत्र क्रमांक 1263–70 दिनांक 18.01.2023 एवं पत्र क्रमांक 3133–282 दिनांक 14.02.2023 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अंतर्गत सभी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों से 31.03.2022 तक का अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग का बैकलॉग का डाटा एकत्रित किया जा रहा है तथा सभी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों से उक्त सूचना को दिनांक 17.02.2023 तक भेजने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसके फलस्वरूप 29 विभागों 31 सार्वजनिक उपक्रमों तथा 06 आयुक्त/उपायुक्तों का डाटा प्राप्त हुआ है। लेकिन शेष विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों से वांछित सूचना अभी भी अपेक्षित है।

इस मामले में आगामी हरियाणा विधानसभा बजट सत्र में श्रीमती गीता भुक्कल, एम0एल0ए0, झज्जर के द्वारा अतारांकित प्रश्न संख्या 14/15/471 पूछा गया है। जिसमें उपरोक्त सूचना से सम्बंधित उत्तर हरियाणा विधानसभा में दिया जाना है, लेकिन उपरोक्त सूचना के अभाव में प्रश्न का जवाब दिया जाना सम्भव नहीं है। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त सूचना एकत्रित करने के लिये मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार की तरफ से दो दिन के अन्दर सूचना प्रदान करवाने हेतु एक पत्र जारी करवाने का कष्ट करें ताकि पूर्ण सूचना इस विभाग को प्राप्त हो सके ताकि हरियाणा विधान सभा में प्रश्न का उत्तर दिया जा सके।

उप–निदेशक,
कृतेः महानिदेशक, सामाजिक न्याय, अधिकरिता, अनुसूचित
जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण व अन्तयोदय (सेवा),
विभाग हरियाणा, पंचकुला।

प्रेषक

महानिदेशक
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग
कल्याण विभाग हरियाणा, बेज नं0 53–54,
सैक्टर–2, पंचकुला

सेवा में,

1. सभी विभागाध्यक्ष हरियाणा राज्य में।
2. सभी बोर्ड/निगम/सार्वजनिक उपकमो के प्रबंधक निदेशक तथा मुख्य प्रशासक/प्रशासक हरियाणा राज्य में।
3. रजिस्ट्रार जनरल, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़।
4. सभी आयुक्त, हरियाणा राज्य में।
5. सभी उपायुक्त हरियाणा राज्य में।
6. सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार हरियाणा राज्य में।

कमांकः 12702-902 दिनांकः 01/7/2022

विषयः– विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों से बैकलॉग का डाटा दिनांक 31.03.2022 तक का भेजने बारे

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

विषयांकित मामले में आपका ध्यान हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 22/54/80–4जी0एस0–1 दिनांक 05.02.1981 तथा पत्र क्रमांक 22/54/2000–3जी0एस0–3 दिनांक 04.06.2001 की ओर आकर्षित करते हुए सूचित किया जाता है कि अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा को विभिन्न/विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों के रोस्टर रजिस्टर चैकिंग करने के लिए नोडल विभाग घोषित किया हुआ है तथा विभिन्न विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों से बैकलॉग का डाटा भी एकत्रित किया जाता है। उपरोक्त परियोजन के फलस्वरूप सभी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों से सभी आरक्षित वर्गों जैसे कि अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/भूतपूर्व सैनिकों का बैकलॉग का डाटा दिनांक 31.03.2022 तक का अपेक्षित है। यह एक आवश्यक सूचना है जो कि मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग तथा अन्य सरकारी संस्थाओं को भेजी जानी होती है।

अतः उपरोक्त सम्बन्ध में प्रपत्र (सलंग्न) अनुसार सूचना दिनांक **15.07.2022** तक दस्ती तथा तैयार की गई सूचना की सॉफ्ट कॉपी फाईल ई–मेल empcellwscbc@gmail.com पर भिजवाने का कृष्ट करें।

(बिशन सिंह)
सांख्यिकीय अधिकारी,
कृतेः महानिदेशक, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग
कल्याण विभाग, हरियाणा, पंचकुला

क्रमांकः दिनांकः

इसकी एक प्रति हरियाणा राज्य में सभी जिला कल्याण अधिकारियों को उनसे सम्बन्धित जिले के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों जिनसे सूचना अपेक्षित है से सम्पर्क करके निर्धारित अवधि के अन्दर सूचना की आपूर्ति करवाना सुनिश्चित करें।

(बिशन सिंह)
सांख्यिकीय अधिकारी,
कृतेः महानिदेशक, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग
कल्याण विभाग, हरियाणा, पंचकुला

निदेशालय, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग हरियाणा।
बेज 53–54, कल्याण भवन सैक्टर–2, पंचकूला
(e-mail id: dbcharyana@gmail.com)
0172-2564006

स्मरण पत्र/तत्काल

सेवा में,

____

____

____

क्रमांकः 1102-262 दिनांकः 18/01/23

विषयः– विभिन्न विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों से नवीनतम बैकलॉग का डाटा दिनांक 31.03.2022 तक का एकत्रित करने बारे।

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 12702–902 दिनांक 01.07.2022 के संदर्भ में।

विष्यांकित मामले में आपको सूचित किया जाता है कि उक्त मामले से सम्बंधित सूचना आपके विभाग से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। चूंकि उपरोक्त मामले में सूचना मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार कार्यालय तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली को समय–2 पर भेजनी होती है। इसलिए आपसे पुनः अनुरोध है कि वांछित पूर्ण सूचना **सलंग्न प्रोफार्मा अनुसार** इस विभाग को दिनांक 31.01.2023 तक भिजवाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त सूचना विभाग की ई0मेल **empcellwscbc@gmail.com** पर भी भेज सकते है।

उप निदेशक,
कृतेः निदेशक, अनुसूचित जातियाँ एवं पिछड़े वर्ग
कल्याण विभाग हरियाणा, पंचकुला।

<u>Haryana Vidhan Sabha Assembly</u>
<u>Business No. 14/15/471 dated 10.02.2023</u>

प्रेषक

महानिदेशक
सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग
कल्याण एवं अन्तयोदय (सेवा) विभाग हरियाणा, बेज नं0 53–54,
सैक्टर–2, पंचकुला

सेवा में,

1. सभी विभागाध्यक्ष हरियाणा राज्य में।
2. सभी बोर्ड/निगम/सार्वजनिक उपकमो के प्रबंधक निदेशक तथा मुख्य प्रशासक/प्रशासक हरियाणा राज्य में।
3. रजिस्ट्रार जनरल, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़।
4. सभी आयुक्त, हरियाणा राज्य में।
5. सभी उपायुक्त हरियाणा राज्य में।
6. सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार हरियाणा राज्य में।

कमांक: → 3133-282 दिनांक: – 14-02-2023

विषयः– विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों से बैकलॉग का डाटा दिनांक 31.03.2022 तक का भेजने बारे।

उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा के द्वारा जारी किये गए संदर्भित पत्रों कमांक 12702–902 दिनांक 01.07.2022, पत्र कमांक 1102–262 तथा पत्र कमांक 1263–70 दिनांक 18.01.2023 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें सभी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों के अंतर्गत 31.03.2022 तक का अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग का बैकलॉग का डाटा एकत्रित किया जा रहा है तथा उक्त सूचना दिनांक 31.01.2023 तक भेजने हेतु अनुरोध किया गया था, लेकिन वांछित सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

इस मामले में आगामी हरियाणा विधानसभा बजट सत्र में श्रीमती गीता भुक्कल, एम0एल0ए0, झज्जर के द्वारा अतारांकित प्रश्न संख्या 14/15/471 पूछा गया है। जिसमें उपरोक्त सूचना से सम्बंधित उत्तर हरियाणा विधानसभा में दिया जाना है। अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि वांछित सूचना इस विभाग को दिनांक 17.02.2023 तक विभाग को दस्ती या ई0मेल आई0डी0 **<u>empcellwscbc@gmail.com</u>** पर भिजवाना सुनिश्चित करें। जिन विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों से सूचना शेष है, उनकी सूची साथ सलंग्न है।

उप–निदेशक,
कृतेः महानिदेशक, सामाजिक न्याय, अधिकरिता, अनुसूचित
जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण व अन्तयोदय (सेवा),
विभाग हरियाणा, पंचकुला।

प्रपत्र सीधी भर्ती के पदो के लिए

दिनांक 31.03.2022 तक

क्र0 सं0	ग्रुप	दिनांक 31.03.2022 अनुसार कुल स्वीकृत पदो की संख्या	दिनांक 31.03.2022 अनुसार कुल भरे गए पदो की संख्या	भरे गए पदों में से आरक्षित वर्गो के कर्मचारियों की संख्या								बैकलॉक दिनांक 31.03.2022 तक							
				अनु0 जाति	अनु0 जाति भू0 सै0	पि0 वर्ग (ए0)	पि0 वर्ग (ए0) भू0 सै0	पि0 वर्ग (बी0)	पि0 वर्ग (बी0) भू0 सै0	आ0 रू0 पि0 वर्ग	स0 वर्ग भू0 सै0	अनु0 जाति	अनु0 जाति भू0 सै0	पि0 वर्ग (ए0)	पि0 वर्ग (ए0) भू0 सै0	पि0 वर्ग (बी0)	पि0 वर्ग (बी0) भू0 सै0	आ0 रू0 पि0 वर्ग	स0 वर्ग भू0 सै0
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	क																		
2.	ख																		
3.	ग																		
4.	घ																		

* यदि किसी ग्रुप में पदों की संख्या एक हो उसको सूचना में शामिल न किया जाए।

वर्गो का संक्षिप्त नाम

1. अनु0 जाति:– अनुसूचित जाति
2. अनु0 जाति भू0 सै0:– अनुसूचित जाति भूतपूर्व सैनिक
3. पि0 वर्ग ए0:– पिछड़ा वर्ग ए0
4. पि0 वर्ग ए0 भू0 सै0– पिछड़ा वर्ग ए0 भूतपूर्व सैनिक
5. पि0 वर्ग बी0 भू0 सै0:– पिछड़ा वर्ग बी0 भूतपूर्व सैनिक
6. आ0 रू0 पि0 वर्ग:– आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग
7. स0 वर्ग भू0 सै0:– सामान्य वर्ग भूतपूर्व सैनिक

प्रपत्र पदोन्नित पदों के लिए

दिनांक 31.03.2022 तक

क्र0 सं0	ग्रुप	दिनांक 31.03.2022 अनुसार कुल स्वीकृत पदो की संख्या	दिनांक 31.03.2022 अनुसार कुल भरे गए पदो की संख्या	भरे गए पदों में से अनुसूचित जाति के कार्यरत कर्मचारियों की संख्या	दिनांक 31.03.2022 के अनुसार बैकलॉग की स्थिति
1.	ग				
2.	घ				

* यदि किसी ग्रुप में पदों की संख्या एक हो उसको सूचना में शामिल न किया जाए।